तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 115/2022 बअनवान सुगणी वगै. बनाम सुजाना वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 28.09.2022

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री वांकाराम चौधरी

हस्तगत अपील को दर्ज कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलव किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वहस करते हुए वताया कि उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। अपीलांट की खातेदारी का खेत ग्राम धौरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 361, 361/1, 371 रकवा क्रमशः 3.8040, 0.0647, 13.8079 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त आराजी में अपीलांट के ससुर व दादा सुरता का वक्त सेटलमेंट से 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ तथा उसी अनुसार सेटलमेंट से पूर्व से कावीज होकर 1/3 हिस्से पर रहवास व काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि के संवंध में उतरदातागण ने वर्ष 2005 में वंटवारे का दावा भी पेश किया तथा सेटलमेंट के वाद उक्त आराजी ने उतरदातागण के द्वारा कई परिवर्तन किये गये परन्तु कभी भी हक हिस्से के संवंध में विवाद नहीं किया उल्टा उक्त आराजी में 1/3 हिस्से के हकदार कोजा पुत्र अमू ने व 9 वीघा के हिस्सेदार मुकना पुत्र सांवला के एक वाद के जरिये अपना हिस्सा सुरता व चार अन्य के पक्ष में त्याग किया जिसके संवंध में सुरता का 45 वीघा में 1/5 वां हिस्सा और वनता है परन्तु उतरदातागण जव संख्या वल में अधिक हो गये तो इनके मन मे खोट आने पर अपीलांट के हक हिस्से की व कब्जा काश्त की भूमि हड़पने की नियत से रातों रात कब्जा करने पर उतारू हुए परन्तु अपीलांट अपीलांट के 1/3 हिस्से में ढाणियां वनी हुई होने से व चारों ओर से वड़ी माठ वनी हुई होने से व चारों ओर से वड़ी माठ वनी हुई होने से सफल नही हुए तो इन लोगो द्वारा उक्त आधारहिन वाद पेश किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.07.2022 को अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपील पत्रावली पर वहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में निगरानी पोषणीय है न की हस्तगत अपील। अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करना चाहा हैं इसलिए हस्तगत अपील को खारिज करते हुए प्रकरण को शिघ्रतम गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देश प्रदान करावे। पूर्व में जो वाद पेश किया गया उसका निस्तारण गुणावगुण पर नहीं होकर अदम हाजरी अदम पैरवी में किया गया। रेसपोडेंटस के पास नया वाद लाने का अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 225 आदेशों की अपील इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की ओर ऐसे अन्य आदेशों की, धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में वर्णित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करना चाहा हैं इसलिए हस्तगत अपील को खारिज करते हुए प्रकरण को शिघ्रतम गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देश प्रदान करावे। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे। उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2011(1) Page 237

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। मूल वाद अभी विचाराधीन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 225 आदेशों की अपील इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की अपील पेश की जा सकती है जबकि तृतीय अनुसूची में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 खारिज होने पर अपील का प्रावधान वर्णित नहीं है। आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का खारिज किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जा सकती है अपील मेंटेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 28.09.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर